



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-17.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Rakesh Singh के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 229 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	कौशिकी पाण्डे	विकास पाण्डे, मो. 9111643867,6266185295	8	क्रमांक-1, एस.टी.सी सदर, जबलपुर(प्रथम पाली)
2	सत्यम यादव	सत्येंद्र यादव, मो. 9752805730,7974949802	1	क्रमांक-1, एस.टी.सी सदर, जबलपुर
3	अयान खॉ मंसूरी	अमजद खॉ मंसूरी, मो.9300106668,9302988575	5	व्ही.एफ.जे जबलपुर (प्रथम पाली)
4	अनन्या राठौर	दीपक सिंह राठौर, मो. 8103448236	1	गढ़ा, जबलपुर
5	अनय सैनी	सुशीला कुमार सैनी, मो. 9425862425,9111991712	1	क्रमांक-1, जीसीएफ, जबलपुर
6	दीपाली राठौर	रानू कुमार राठौर, मो. 9826942785	6	क्रमांक-1, जीसीएफ, जबलपुर
7	मात्रिका दुबे	प्रशांत दुबे, मो. 9098495968	9	क्रमांक-1, जीसीएफ, जबलपुर
8	रिधिमा जाट	धीरेंद्र डागुर, मो. 7000898117,9425925333	1	ओ.एफ खमरिया, जबलपुर
9	रक्षित बनाफर	हिरेन्द्र कुमार बनाफर, मो. 7018038275	8	सी.ओ.डी, जबलपुर
10	आराध्य चौरसिया	शीतल चौरसिया, मो. 8770068872	5	वाहन निरमानी, जबलपुर(प्रथम पाली)

दिनांक 17/08/20

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


17/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Rakesh Singh माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, जबलपुर संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)